



क्रमांक / न.पा. / राजस्व / 2026 / 201

पिपरिया दिनांक:- 07.05.2026

ई- निविदा आमंत्रण सूचना

एतद द्वारा सर्व साधारण एवं व्यावसायियों को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका स्वामित्व के जयप्रकाश कस्तूरबा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में नव निर्मित दुकानों की नीलामी के लिये निम्नानुसार ऑनलाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है विवरण तालिका में वर्णित है।

क्र.	निविदा क्रमांक	कार्यों का विवरण	आरक्षण वर्ग	प्रा.राशि	धरोहर राशि	निविदा फार्म शुल्क
1	2026_UAD_505699_1	जय प्रकाश कस्तूरबा शापिंग काम्प्लेक्स में स्थित दुकान नंबर 3	अनारक्षित	12.13 Lakh	9100 /-	2000 /-
2	2026_UAD_505699_2	जय प्रकाश कस्तूरबा शापिंग काम्प्लेक्स में स्थित दुकान नंबर 9	अनुसूचित जाति	10.24 Lakh	8000 /-	2000 /-
3	2026_UAD_505699_3	जय प्रकाश कस्तूरबा शापिंग काम्प्लेक्स में स्थित दुकान नंबर 10	अनुसूचित जाति	09.73 Lakh	10000 /-	2000 /-


// समय तालिका //

क्रमांक	विवरण	दिनांक
1	टेंडर फार्म लेने की तिथि	08.05.2026 10:30 AM
2	टेंडर फार्म लेने एवं दर लिये जाने की अंतिम तिथि	22.05.2025 17:30 PM
3	प्रपत्र, इत्यादि का लिफाफा ए खोलने की तिथि	25.05.2025 10:30 AM
4	निविदा दर खोले जाने की तिथि	Will be provided later

नोट:- 1. निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन <https://mptenders.gov.in> की वेबसाईड पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।


2. प्रिमियम राशि एवं विकास शुल्क की संयुक्त गणना उपरांत ही उच्चतम राशि पर दुकान आवंटित की जावेगी।


3. विकास शुल्क की जानकारी नगर पालिका परिषद पिपरिया के राजस्व शाखा से लेवें।


मुख्य नगर पालिका अधिकारी, रो
नगर पालिका परिषद पिपरिया
पिपरिया दिनांक:-
जिला - नर्मदापुरम् (म. प्र.)

पृ.क्रमांक / न.पा. / राजस्व / 2026 /
प्रतिलिपि :-

01 संपादककी ओर भेजकर लेख है कि प्रस्तुत विज्ञापन आपके आगामी अंक के.....
संस्करण में प्रकाशित करने का कष्ट करें।


मुख्य नगर पालिका अधिकारी, रो
नगर पालिका परिषद पिपरिया
नगरपालिका परिषद पिपरिया
जिला - नर्मदापुरम् (म. प्र.)



जयप्रकाश कस्तूरबा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में नव निर्मित दुकानों की नीलामी शर्तें

01. नीलामी में प्राप्त किसी भी बोली राशि समस्त निविदाओं को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पालिका परिषद के पास सुरक्षित है।
02. नगर पालिका की प्लेटों के बकायादारों को निविदा में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी। अतः नीलामी पूर्व नगर पालिका के समस्त कर/बकाया कार्यालय में जमा कर अनापत्ति प्रमाण पत्र पाना आवश्यक होगा। (अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रारूप संलग्न है)
03. प्लेट/दुकान में किसी भी प्रकार का मांस, मछली, मादक पदार्थों, विस्फोटक पदार्थों एवं घृणात्मक व्यवसाय पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित होंगे इनका प्रयोग करना भी वर्जित होगा।
04. बगैर नगर पालिका की स्वीकृति के प्लेट में किसी भी प्रकार की निर्माण अनुमति नहीं होगी।
05. विवाद में नगर पालिका का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
06. बकाया किस्त की राशि, किराया बकाया की स्थिति या अन्य शर्तों के उल्लंघन की दशा में मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 164 से 167 के अंतर्गत कार्यावाही करने का पूर्ण अधिकार नगर पालिका को होगा तथा किरायेदारी निरस्त करने में नगर पालिका स्वतंत्र होगी।
07. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन एवं किरायेदारी अनुबंध की शर्त का उल्लंघन करने पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी के आदेश पर प्लेट तत्काल खाली कर नगर पालिका को कब्जा सौंपना होगा। कब्जा नहीं देने पर इस हेतु नगर पालिका द्वारा न्यायालयीन कार्यावाही की गई तो उसके समस्त खर्च एवं हर्जाना का भुगतान प्लेटदार से वसूली योग्य होगा।
08. अचल सम्पत्ति का अंतरण निविदा आमंत्रित करके किया जाएगा। निविदा आमंत्रण में प्रतिभूति निक्षेप की राशि परिषद द्वारा इस शर्त के अधीन रहते हुए संगणित की जाएगी कि ऐसी राशि आरक्षित मूल्य का 2.5 प्रतिशत से कम न हो। यह राशि प्रत्येक बोलीकर्ता द्वारा नकद/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से आवश्यक रूप से जमा की जाएगी अन्यथा कोई भी व्यक्ति निविदा में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होगा और इसी प्रकार उक्त प्रतिभूति निक्षेप के बिना कोई निविदा ग्रहण नहीं की जावेगी। प्रतिभूति निक्षेप (अमानत राशि) का ब्यौरा निविदा प्रपत्र में दिया गया है।
09. उच्चतम निविदा दाता द्वारा निविदा प्रस्तुत करने के पश्चात विक्रय मूल्य की 25 प्रतिशत राशि मध्य प्रदेश नगर पालिका (अचल संपत्ति अंतरण) नियम 2016 के प्रावधानों के तहत निर्धारित समय में जमा करना अनिवार्य होगा। शेष राशि जिसमें प्रतिभूति राशि को सम्मिलित किया जा सकता है निविदा दर की अंतिम स्वीकृति के संबंध में लिखित सूचना प्राप्त होने के दिनांक से 120 दिवस के अंदर जमा की जावेगी। यदि बोलीकर्ता द्वारा विक्रय मूल्य की 25 प्रतिशत राशि या संसूचित अवधि के अंदर शेष राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी "विक्रय या पट्टे को अनुपयुक्त कर दिया गया" घोषित कर सकेगा तथा पुनः निविदा आमंत्रित की जाएगी।
10. यथास्थिति निविदा प्रक्रिया समाप्त होने पर या प्रस्ताव खोले जाने के तत्काल पश्चात उच्चतम बोली लगाने वाले की प्रतिभूति निक्षेप को छोड़कर शेष सभी बोली लगाने वालों का प्रतिभूति निक्षेप तत्काल वापस कर दिया जाएगा।


निविदा प्रस्थापना के प्रस्ताव को अमान्य किये जाने पर निविदाकर्ता को अग्रिम राशि वापस कर दी जायेगी किन्तु ब्याज देय नहीं होगा।

12. वार्षिक भाड़ा अग्रिम में देय होगा - अचल संपत्ति (भूमि) का प्रत्येक पट्टा इस शर्त के अधीन होगा कि पट्टे की अवधि के दौरान देय वार्षिक भू भाटक प्रति वर्ष अग्रिम में देय होगा तथा पट्टाधारी का यह दायित्व होगा कि वह निर्धारित अवधि के पूर्व उक्त राशि जमा करें। निर्धारित तिथि के पूर्व भू-भाटक जमा करने में असफल रहने की दशा में 12 प्रतिशत ब्याज अधिरोपित किया जाएगा नीलामी बोली स्वीकृति के 120 दिन पश्चात भूभाटक प्रारंभ माना जावेगा।
13. निविदा प्रतिस्थापना द्वारा सम्पत्ति का अंतरण पट्टा धारी को प्रारंभिक रूप से 30 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर प्रदान किया जायेगा।
14. संपत्ति का नवीनीकरण 30 वर्ष की अवधि के लिए किया जा सकेगा। नवीनीकरण प्रभार तत्समय प्रभावशील प्रभार के अनुसार देय होंगे।
15. पट्टे की अवधि के अवसान की तारीख के एक वर्ष की अवधि के दौरान नवीनीकरण के लिए आवेदन करना आवश्यक होगा। अन्यथा नियमानुसार प्रशमन प्रभार लागू होंगे।
16. पट्टा भाड़ा निर्धारित अवधि में चुकाना होगा, अन्यथा निर्धारित दायित्वक प्रभार देय होगा।
17. संपत्ति के संरचनात्मक भागों के किसी भाग में कोई अतिरिक्त कार्य करने या परिवर्तन करने की पात्रता नहीं होगी, जो संरचना की सुरक्षा को प्रभावीत करती हो तथा वह इसे उसी स्थिति में रखेगा, जैसा कि उसे प्रदान किया गया हो।
18. यदि संपत्ति को किसी प्राकृतिक आपदा या दंगाग्रस्त भीड़ या अन्य किसी दुर्घटना जो मानव नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण क्षति होती है तो इसकी हुई क्षति को पट्टाधारी को ही वहन करना होगा। इसके लिए मुख्य कार्यपालिक अधिकारी किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगी।
19. संपत्ति का रख रखाब एवं आवश्यक मरम्मत पट्टेधारी द्वारा किया जाएगा।
20. मुख्य कार्यपालिका अधिकारी लोकहित में उक्त संपत्ति का अंतरण निरस्त कर सकेगा और व्यवस्थापन वैकल्पिक स्थल पर कर सकेगा।
21. मुख्य कार्यपालिक अधिकारी द्वारा अधिकृत कर्मचारी द्वारा सम्पत्ति का निरीक्षण कभी भी किया जा सकेगा।
22. पट्टाधारी को किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थों या किन्हीं अन्य पदार्थों के संग्रहण की अनुमति नहीं होगी, जो उसकी संपत्ति तथा आस-पास की संपत्तियों के लिए असुरक्षित हो।
23. पट्टाधारी किसी ऐसी गतिविधि का क्रियान्वयन नहीं करेगा, जो विधि के अनुसार अनुज्ञेय नहीं है और आसपास के रहवासियों अथवा आमजन की शांति तथा सुरक्षा को प्रभावित करती है।
24. संपत्ति का पट्टाधारी अतिरिक्त अतिक्रमण अथवा अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा।
25. मुख्य कार्यपालिक अधिकारी लोकहित में संपत्ति में सुधार करवाएगा अथवा पट्टाधारी को सम्पत्ति में सुधार करने के लिए निर्देश दे सकेगा।
26. पट्टाधारी को विधुत संयोजन नियमानुसार प्राप्त करना होगा।
27. पट्टाधारी द्वारा इन निर्मित बनाये गये नियमों और उसके अधीन बनाए गए उपबंधों और अनुबंध की शर्तों के अनुपालन में चूक करने की दशा में संपत्ति का अंतरण निरस्त किया जा सकेगा।

स्थित
मं. 8.

केन्द्र सरकार अथवा राज्य शासन द्वारा आरोपित कर/शुल्क/अन्य प्रभारों का भुगतान पट्टाधारी द्वारा किया जाएगा।

29. इस प्रयोजन हेतु निविदा प्रतिस्थापना की कार्यवाही एवं सम्पत्ति अंतरण की कार्यवाही मध्यप्रदेश नगर पालिका (अचल सम्पत्ति का अंतरण) नियम 2016 के आधीन होगी।


मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद पिपिदिवा
जिला - नर्मदापुरम (म. प्र.)



टेंडर फार्म

प्रति,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद पिपरिया

विषय- नगर पालिका परिषद पिपरिया द्वारा नगर पालिका स्वामित्व के जयप्रकाश कस्तूरबा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में
नव निर्मित दुकान नंबरकी निविदा प्रस्तुत किये जाने बावत्।

01. नाम -
02. पिता/पति का नाम -
03. स्थाई पता -
04. मोबाईल नम्बर -
05. आधार कार्ड नम्बर -
06. जाति प्रमाण पत्र
(आरक्षण प्रवर्ग की पुष्टि हेतु) -
07. भूखंड की शासकीय
बोली/आरक्षित मूल्य -
08. निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रीमियम निविदा राशि (अकों में) -
09. निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रीमियम निविदा राशि (शब्दों में) -

दिनांक -

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम -

पता -

||AFFIDAVIT||

(To be contained in Envelope A)

(On Non-judicial Stamp of Rs. 100)

I/we _____ who is/are _____ (status in the firm/ company) and competent for submissions of the affidavit On behalf of M/S_ _____ (contractor) do solemnly affirm an oath and state that:

I/we am/ are fully satisfied for the correctness of the certificates/records submitted in support of the following information in bid documents which are being submitted in response to notice inviting e-tender No. _____ for _____ (Name of work) dated _____ issued by the _____ (Name of the department).

I/we am/ are fully responsible for the correctness of following self-certified information/ documents and certificates:

1. That the self-certified information given in the bid document is fully true and authentic.
2. That:
 - a. Term deposit receipt deposited as earnest money, demand draft for cost of bid document and other relevant documents provided by the Bank are authentic.
 - b. Information regarding financial qualification and annual turnover is correct,
 - c. Information regarding various technical qualifications is correct.
3. No close relative of the undersigned and our firm/company is working in the department.

Or

Following close relatives are working in the department:

Name _____ Post _____ Present Posting _____.



Signature with Seal of the Deponent (Bidder)

I/we, _____ above deponent do hereby certify that the facts mentioned in above paras 1 to 4 are correct to the best of my knowledge and belief. Verified

today _____ (dated) at _____ (place).

Signature with Seal of the Deponent (Bidder)

Note: Affidavit duly notarized in original shall reach at least one calendar day before opening of the bid.



Vijay
उपयंत्री

सरकार पाठशाला परिषद
पिंपरीचा (व.स.)